

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] No. 3501 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2008/आषाढ़ 5, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2008/ASADHA 5, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्यं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2008

सा.का.नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत वैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 4 का संशोधन,—डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 4 के उप-नियम (2) की सारणी में, "क. व्यष्टि खाता" शीर्षक के अधीन एकल खाते से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 4 के नीचे की प्रविष्टि में, "वयस्क, निरक्षर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "खाता प्रचालित कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(क) वयस्क ; या
 - (ख) कोई निरक्षर वयस्क व्यक्ति उसके द्वारा नामनिर्देशितकिसी साक्षर अभिकर्ता की मार्फत् ; या

(ग) कोई नेत्रहीन या शारीरिक रूप से अन्यथा विकलांग व्यस्क व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी साक्षर अभिकर्ता की मार्फत् ।''।

> [फा. सं. 17/5/2005-एन एस-II] एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण :-- मुल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 664(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 300(अ), तारीख । अप्रैल, 1982, (2) सा.का.नि. 257(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, (3) सा.का.नि. 502(अ), तारीख 9 जुलाई, 1984, (4) सा.का.नि. 418(अ), तारीख 10 मई, 1985, (5) सा.का.नि. 193(अ), तारीख 12 फरवरी, 1986, (6) सा.का.नि.362(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, (7) सा.का.नि. 1005(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1987, (8) सा.कां.नि. 353(अ), तारीख 18 मार्च, 1988, (9) सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 सितम्बर, 1991, (10) सा.का.नि.191(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, (11) सा.का.नि. 580 (अ), तारीख 12 सितम्बर 1991, (12) सा. का.नि. 727(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991, (13) सा.का.नि. 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, (14) सा.का.नि. 586(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1993, (15) सा.का.नि.118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, (16) सा.का.नि. 5(अ), तारीख । जनवरी, 1999, (17) सा.का.नि. 43(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, (18) सा.का. नि.151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, (19) सा.का.नि.159(अ), तारीख । मार्च, 2002, (20) सा.का.नि.174(अ), तारीख । मार्च, 2003, (21) सा.का.नि. 589 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2003 और (22) सा.का.नि.286(अ), तारीख 13 मई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2008

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of rule 4.—In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in sub-rule (2) of rule 4, in the Table under the heading "A. INDIVIDUAL ACCOUNTS", against Serial No. 1 relating to Single Account, under column 4, in the entry, for the portion beginning with the words "The adult. An Illiterate" and ending with the words "for the purpose"; the following shall be substituted, namely:—
 - "(a) The adult; or
 - (b) An illiterate adult through a literate agent nominated by him or her, or

(c) A blind or otherwise physically handicapped adult, either directly or through a literate agent nominated by him or her."

[F. No. 17/5/2005-NS-II]

M. A. KHAN, Under Secv.

Note: - The principal rules were published vide G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended vide: -(1) G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982. (2) G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, (3) G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, (4) G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, (5) G.S.R. 193(E), dated the 12th February. 1986, (6) G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987, (7) G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, (8) G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, (9) G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, (10) G.S.R. 191(E), dated the 27th March. 1991, (11) G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991. (12) G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, (13) G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, (14) G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, (15) G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, (16) G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999. (17) G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, (18) G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, (19) G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, (20) G.S.R. 174(E), dated the 1st March. 2003, (21) G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003 and (22) G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005,